न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 151 सन 2022

अनवान :–

1. रामकरण पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. फुलवन्ती पत्नी फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. देवरीराम पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
3. प्रदीप कुमार महला पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. सुभाषचन्द महला पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 206/196 की कुल 2.2920हैक व रोही मौजा दुमासर के खाता संख्या 225/207 की कुल 3.099हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है।

रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 116/116 की कुल 2.7950हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया और बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के साथ हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भूमि काश्त को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए परिवारिक समझौता जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।प्रतिवादी संख्या 5 पेशकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 206/196 की कुल 2.2920हैक व रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

मौजा डुमासर के खाता संख्या 225/207 की कुल 3.099हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 116/116 की कुल 2.7950हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया और बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के साथ हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 206/196 की कुल 2.2920हैक व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 225/207 की कुल 3.099हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 116/116 की कुल 2.7950हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 116/116 के खसरा न0 193/2 की 0.6450है व खसरा न0 281/2 की 2.5100हैक कुल 2.7950हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 206/196 कके खसरा न0 255/3 की 1.2650हैक में से मिन उत्तर की 1.0120हैक भूमि व रोही मोजा डुमासर के खाता संख्या 225/207 के खसरा न0 309/413 की 1.1890हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामकरण पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फुलवन्ती पत्नी फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. देवसीराम पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
3. प्रदीप कुमार महला पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. सुभाष चन्द्र महला पुत्र फरसाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 151 सन 2022 निर्णय दिनांक- 11/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 116/116 के खसरा न0 193/2 की 0.6450है व खसरा न0 281/2 की 2.5100हैक कुल 2.7950हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 206/196 के खसरा न0 255/3 की 1.2650हैक में से मिन उत्तर की 1.0120हैक भूमि व रोही मोजा डुमासर के खाता संख्या 225/207 के खसरा न0 309/413 की 1.1890हैक भूमि वादी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner